>

Title: The Minister of Parliamentary Affairs made a statement regarding Government Business for the week commencing the 23rd August, 2011 and submissions made by members.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF WATER RESOURCES (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): With your permission Madam, I rise to announce that Government- Business during the week commencing Tuesday, the 23rd of August, 2011, will consist of:-

1. Consideration of any item of Government Business carried over from today's Order paper.

2. Consideration and passing of the following Bills:-

   (a) The Academy of Scientific and Innovative Research Bill, 2010.

   (b) The Indian Institute of Information Technology, Design and Manufacturing, Kancheepuram Bill, 2011.

   (c) The Constitution (One Hundred and Eleventh Amendment) Bill, 2009.

3. Consideration and passing of the following Bills, after they are passed by Rajya Sabha:-

   (a) The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Amendment Bill, 2010.

   (b) The Central Educational Institutions (Reservation in Admission) Amendment Bill, 2010.

   (c) The Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Bill, 2010.

   (d) The National Council for Teacher Education (Amendment) Bill, 2010.

   (e)

श्री दिनेश चन्द्र यादव (खगड़िया): अध्यक्ष महोदया, लोक सभा के आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए।

1- पूर्व मध्य रेल हाजीपुर अंतर्गत सहरसा से पटना के बीच प्रस्तावित नई चलने वाली राजरानी एक्सप्रेस के समय-सारिणी में परिवर्तन कर सहरसा से रात्रि 11 बजे एवं पटना से भी रात्रि 11 बजे चलाई जाए एवं इसमें AC-2, AC-3 एवं स्लीपर कोच लगाई जाए।

2- पूर्व मध्य रेल हाजीपुर के सोनपुर/समस्तीपुर रेल मंडल अंतर्गत बरौनी-सहरसा तथा समस्तीपुर- खगड़िया-सहरसा-मधेपुरा के बीच डी.एम.यू. सेवा शुरू की जाए।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): महोदया, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाये:

1. पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल के वे सभी पी.आर.एस., जो कि सुबह आठ बजे से दोपहर बाद दो बजे तक काम करते हैं, को शाम आठ बजे तक किये जाने की आवश्यकता है। जहां पी.आर.एस. का केवल एक काउण्टर है, वहां दो काउण्टर किये जाने की आवश्यकता है।

2. पूर्व मध्य रेलवे के दानापुर मंडल के नालन्दा स्टेशन पर कार्यरत पी.आर.एस., जिसमें अभी तक आरक्षण-सह-पूछताछ लिपिक की पोस्टिंग नहीं हुई है, इसके कारण यह पी.आर.एस. काम नहीं कर रहा है, पर आरक्षण लिपिकों की पोस्टिंग किये जाने की आवश्यकता है। इस स्टेशन पर पेयजल का कोई साधन नहीं रहने से वहां पर पेयजल का एक साधन उपलब्ध किये जाने की आवश्यकता है।

SK. SAIDUL HAQUE (BARDHMAN-DURGAPUR): Madam Speaker, I want that the following items may be included in next week's agenda:
a) need to build one more Dam at Bolpahari in Jharkhand in Damodar river as part of DVC project in consultation with Jharkhand and West Bengal Governments.

b) Need for dredging of the Durgapur Barrage which is silted by sand and also dredging of four dams – Maithon, Panchayet, Tilaiya, Konar of DVC projects for controlling flood and supplying water for irrigation and drinking.

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदया, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाये:

1. महाराष्ट्र की राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना की धनराशि आबंटन के पश्चात् इसमें भारी अनियमितता होने का संज्ञान लेकर सरकार द्वारा इसकी जांच और कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता।

2. चौकीदार और फाटकविहीन समपारों पर रेल दुर्घटनाएं घटने पर मृत और हताहतों को मुआवजा नहीं दिया जाता। इसका संज्ञान लेकर सरकार मृतकों और जख्मी लोगों के परिजनों को मुआवजा देने का प्रावधान करे।

श्री गोरख प्रसाद जायसवाल (देवरिया): महोदया, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाये:

1. एल.पी.जी. की आपूर्ति समय पर नहीं देने, कम वजन की एल.पी.जी. की आपूर्ति करने एवं कालाबाजारी करने वाली गैस एजेंसियों को रद्द किये जाने का कार्य किया जाये।

2. देश में बाढ़ से होने वाले लोगों के नुकसान की भरपाई करने एवं इससे प्रभावित लोगों को तत्काल राहत दिये जाने का कार्य किया जाये।

श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला (खजुराहो): महोदया, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाये:

1. केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को शीघ्र स्वीकृत कर बजट आबंटित करने के सम्बन्ध में।

2. ललितपुर-सिंगरौली रेल परियोजना के खंड पन्ना-सतना में शीघ्र कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): महोदया, कृपया आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषय को जोड़ा जाये:

1. भारतीय संविधान के प्रावधान के अनुसार अनुसूचित जाति से सम्बन्धित कर्मियों को पदोन्नति में आरक्षण विषय पर चर्चा को शामिल किया जाये। वर्तमान में एम.नागराज केस में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद असमंजस की स्थिति पैदा हुई है, जिसे दूर किया जाना अनिवार्य है।

SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam Speaker, kindly include the following two items in the list of business for the next week:

(1) A large tract of land in West Bengal and other parts of India has been inundated due to heavy rain and discharge of water from dams which resulted in a huge loss of property and an adverse impact of agriculture.

(2) In view of the fact that per capita availability of drinking water has been decreasing alarmingly, it calls for fresh look into water policy.

*m10

श्री रामकिशुन (चन्दौली): अध्यक्ष महोदया, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में दो विषयों को जोड़ लिया जाए -

1. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना में उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में अनियमितताओं की घटनाओं पर चर्चा कराये जाने के विषय में।
2. देश में लगातार बढ़ रहे शिक्षित बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराये जाने के विषय में।

श्री ए.टी. नाना पाटील (जलगांव): माननीय अध्यक्ष महोदया, आपसे अनुरोध है कि आगामी सप्ताह की कार्यसूची में कृपया निम्नलिखित विषयों को विचार के लिए जोड़ा जाए -

1. जलगांव जिला, मध्य रेलवे और पश्चिम रेलवे दोनों जोन में आता है और यहां से काफी ट्रेनों का आना-जाना रहता है, लेकिन पिछले कई सालों से जलगांव और चालीसगांव, धरणगांव अमलनेर और पाचोरा में कुछ ट्रेनों का ठहराव के लिए निवेदन और आंदोलन करने के बाद जलगांव में दो ट्रेनों का ठहराव दिया था। लेकिन अब रेलवे मंत्रालय इन ट्रेनों का ठहराव रद्द करने जा रहा है। यदि यह सत्य है तो इस निर्णय को तत्काल रद्द करने की आवश्यकता है।

2. भारत की प्राचीन सभ्यता की गाथा कहने वाली पुरातत्व संस्मारकों, ऐसे किले और पुरातन धार्मिक मंदिरों जैसे हजारों पर्यटन स्थल हैं, उसी तरह मेरे संसदीय क्षेत्र जलगांव में चांगदेव मंदिर, भुईकोट किला, पारोला और बहादपुर किला और फरकांडे झुलते मनोरे शामिल हैं। लेकिन आज उनकी दशा बद से बद्तर हो गई है। ऐसे स्थल के देखभाल व मरम्मत के लिए कानून मे संशोधन करने की आवश्यकता।

ÂÂ